Reg 16-1-2019

सलाह रायनामा अनुसार not Press

अभावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण तथा वकील अप्रार्थीगण स.1 से 4 तक हाजिर हुये। वकील प्रार्थीगण तथा वकील अप्रार्थीगण के संयुक्त शपथपत्र राजीनामा इस आशय का पेश किया कि केवल अदालत की भावना से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि में भविष्य में कोई दखल नहीं करेंगे। तथा न ही आवागमन करेंगे। प्रार्थीगण भी अप्रार्थीगण के विरुद्ध कोई मुकदमाबाजी नहीं करेंगे। अतः संलग्न राजीनामा अनुसार वकील प्रार्थीगण ने विद्याधीन इस प्रकरण को आगे नहीं चलाने हेतु मोटपेश किया है। अतः विद्याधीन यह राज्यस्तरीय धारा 212 R.T Act प्रार्थीगण द्वारा दिये मोटपेश चलने योग्य नहीं होने से दायर मोटपेश खारिज किया जाता है। दीर्घ सरे हेडालास अनुसार अभावली पैसलख अनुसार छोड़ नंबर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)